न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 645/2024

अनवान : –

1. सुनिल कुमार पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजमल पुत्र भागाराम मण्डा जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर

– **वादीगण**

बनाम्

1. भागमल उर्फ भागाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. शन्कुतला पुत्री भागाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 23/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में से 13915/27832 हिस्सा भूमि वा रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 245/228 के कुल खसरे 1 की कुल 5.5140 है. भूमि मे से 316/13785 हिस्सा भूमि वा रोही मोजा बडबिराना तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 125/123 के कुल खसरे 8 कि कुल 27.5180 है. भूमि में से 14771/55036 हिस्सा भूमि वा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है मुताबीक पारिवारीक समझोता उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहता है अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो की वादीगण की बहीन है व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है उपरोक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती व अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पिता व भाईयो पक्ष में परित्याग कर चुकी है मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में से 13915/27832 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त है तथा रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 245/228 के कुल खसरे 1 की कुल 5.5140 है. भूमि मे से 316/13785 हिस्सा भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:08:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण संख्या 1 ता 2 ब.हिब. काबिज है वा रोही मोजा बडबिराना तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 125/123 के कुल खसरे 8 कि कुल 27.5180 है. भूमि में से 14771/55036 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ब.हि.ब काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:08:10 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 15 का कुल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में से 13915/27832 हिस्सा भूमि वा रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 245/228 के कुल खसरे 1 की कुल 5.5140 है. भूमि मे से 316/13785 हिस्सा भूमि वा रोही मोजा बडबिराना तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 125/123 के कुल खसरे 8 कि कुल 27.5180 है. भूमि में से 14771/55036 हिस्सा भूमि वा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा रोही मोजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में से 13915/27832 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 245/228 के कुल खसरे 1 की कुल 5.5140 है. भूमि मे से 316/13785 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हिब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा बडबिराना तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 125/123 के कुल खसरे 8 कि कुल 27.5180 है. भूमि में से 14771/55036 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/7/24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:08:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 645/2024
अनवान : –

1. सुनिल कुमार पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजमल पुत्र भागाराम मण्डा जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. भागमल उर्फ भागाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. शन्कुतला पुत्री भागाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 645 सन 2024 निर्णय दिनांक –23/07/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा रोही मोजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 28/28 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में से 13915/27832 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 245/228 के कुल खसरे 1 की कुल 5.5140 है. भूमि मे से 316/13785 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब.हिब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा बडबिराना तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 125/123 के कुल खसरे 8 कि कुल 27.5180 है. भूमि में से 14771/55036 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.26 19:08:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर